

प्र०क्र०

तीन।2003 पुनरीक्षण

R-235-III/03

बी.एस.ए.के. राजस्व मंडल मध्य प्रदेश  
द्वारा आज दि. 17/2/03 को प्रस्तुत।

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर  
17 FEB 2003

जगदीश पुत्र पुत्र कृष्णाराव दीक्षित  
निवासी ग्राम बड़पुरी तहसील अटेर  
हाल निवासी हाऊसिंग कालोनी  
गांरी किनारा मिण्ड ----- आवेदक  
विरुद्ध

1- मनोज कुमार अवयस्क पुत्र कैलाशनारायण  
द्वारा संज्ञक मां रामादेवी पत्नी  
कैलाश नारायण शर्मा निवासी ग्राम  
बड़पुरी तहसील अटेर जिला मिण्ड

2- कृष्णकुमार } पुत्राण विशेश्वर  
3- कैलाश नारायण } दयाल दीक्षित

निवासीगण - क्र० 2 75।137 रंजीतपुरवा  
घनकट्टी कानपुर, क्र० 3 198-581(के) ब्लाक  
किदवईनगर कानपुर ----- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक  
20।99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-1-  
2003 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०  
मू राजस्व संहिता 1959.

9/2-2-2003

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :-

- R
- (1) यह कि अपर आयुक्त का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
  - (2) यह कि प्रकरण में विवादित मूमि के पूर्व स्वामी विशेश्वर दयाल थे। उन्होंने विवादित मूमि आवेदक के पिता को संवत् 2006 में



18.1.16

आदेशक अधि. श्री एच.के.

~~वाजपेयी उपस्थित ] आदेश की शुरु~~  
~~होने पर कार्रवाई की जानकारी प्रकृत~~  
~~करने का अंतिम समय दिया गया~~  
~~था, परन्तु आज दिनांक तक अधि.~~  
~~द्वारा कोई जानकारी प्रकृत नहीं की~~  
~~गई। अतः ऐसी स्थिति में उक्त~~  
~~इसी स्तर पर समाप्त किया~~  
~~जाता है।~~

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
सदस्य